रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 1996/आश्विन 22, 1918
No. 186] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 1996/ASVINA 22, 1918

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1996

फा. सं. 1/17/96 ई पी (टी एंड जे) 1.—विषय : उन देशों को कतिपय यार्न, फैब्रिक तथा मेड-अप की मदें निर्यात करने के लिए वर्ष 1997—1999 की अवधि के दौरान लागू होने वाली शर्तें, जिनमें ऐसे निर्यात वस्त्र और क्लोदिंग सम्बन्धी करार के उपबंधों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है।

1. प्रस्तावना

यार्न, फैब्रिक तथा मेड-अप मदों के संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय यूनियन तथा नार्वे को होने वाले निर्यात के सम्बन्ध में निर्यात तथा आयात नीति (1992—1997) के अन्तर्गत प्रकाशित प्रक्रिया नियम पुस्तिका के खण्ड 1 के परिशिष्ट 43-आई की मद संख्या 11 में निहित उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 1997 से 1999 के लिए हकदारियों के आबंटन संबन्धी नीति (जिसे इसके पश्चात् आवंटन नीति कहा गया है) इसके पश्चात् स्पष्ट किए गए अनुसार होगी।

2. प्रशासन

जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, श्रेणी 3/3अ एवं 23/ई.यू. जिनका आवंटन सचिव, सिन्थेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् (एस एण्ड आर टी ई पी सी) द्वारा किया जायेगा, को छोड़कर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् (टैक्सप्रोसिल) के कार्यकारी निदेशक सभी यार्न, फ्रैब्रिक तथा मेड-अप मदों की हकदारी का आबंटन करेंगे। तथापि, ऐसे सभी निर्यातों के लिए प्रमाणीकरण केवल टैक्सप्रोसिल द्वारा ही किया जायेगा।

(2) उपरोक्त प्रयोजन के लिए कार्यकारी निदेशक, टैक्सप्रोसिल तथा सचिव, सिन्थैटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का अभिप्राय उनसे तथा शामिल किये गये ऐसे अन्य अधिकारियों से होगा जिन्हें अनिवार्य शक्तियों का प्रयोग करने, कार्य करने तथा दायित्व पूरा करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया गया है अथवा जिन्हें अनिवार्य शक्तियों, कार्यों तथा दायित्वों के साथ प्रत्यायोजित किया गया है।

(3) कार्यकारी निदेशक, टैक्सप्रासिल एवं सचिव, सिथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा लागू किसी भी प्रत्यायोजन के होते हुए भी इस आवंटन नीति के क्रियान्वयन के लिए वे वस्त्र मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(4) वस्त्र मंत्रालय इस अधिसूचना के उपबंधों में से किसी भी उपबंध की व्याख्या के संबंध में अन्तिम प्राधिकारी होगा। वस्त्र मंत्रालय प्रशासन अभिकरणों उनके कार्यों तथा दायित्वों के संबंध में समय-समय पर ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और वह ऐसे प्राधिकारियों को कार्यों तथा दायित्वों को अंशत: अथवा पूर्णत: पुनर्आबंटित कर सकता है जैसा कि उचित समझे।

(5) निर्यात हकदारियों का आबंटन केवल उन्हीं निर्यातकों को किया जाएगा जो निर्यात-आयात नीति के अनुसार सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हो।

3. **आधार वर्ष**

इस अधिसूचना में किसी भी स्थान पर आने वाले "आधार वर्ष" वाक्यांश का अभिप्राय किसी भी आवंटन वर्ष के लिए उस कलेन्डर वर्ष से होगा जो उस आवंटन वर्ष के पूर्व से ठीक पहले आया हो। उदाहरणार्थ, वर्ष 1997 के लिए आधार वर्ष 1995 का वर्ष होगा।

4. **आवंटन की प्रणाली**

(1) प्रत्येक आवंटन वर्ष में निर्यात हेतु मात्रा का आवंटन निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार प्रत्येक मद के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर किया जायेगा :—

(क) **यार्न**

प्रणाली	**वार्षिक स्तर का प्रतिशत**
(क) विगत निर्यात हकदारी (पी.पी.ई.)	55
(जिसमें से उच्च मूल्य हकदारी)	(15)
(ख) विनिर्माता-निर्यातक हकदारी (एम.ई.ई.)	15
(ग) तैयार माल निर्यातकों की हकदारी (आर.जी.ई.)	25
(घ) गैर कोटा निर्यातक हकदारी (एन.क्यू.ई.)	5
योग	100 प्र.श.

(ख) **फैब्रिक (श्रेणी 3, 3क/ई.यू. के अतिरिक्त)**

प्रणाली	
(क) विगत निर्यात हकदारी (पी.पी.ई.)	55
(जिसमें से उच्च मूल्य हकदारी)	(15)
(ख) विर्निमाता-निर्यातक हकदारी (एम.ई.ई.)	15
(ग) तैयार माल निर्यातकों की हकदारी (आर.जी.ई.)	15
(घ) गैर कोटा निर्यातक हकदारी (एन.क्यू.ई.)	5
(ङ) विद्युत करघा निर्यातक हकदारी (पी.ई.ई.)	10
योग	100 प्र.श.

(ग) **फैब्रिक (केवल श्रेणी 3, 3क/ई.यू.)**

(क) विगत निर्यात हकदारी (पी.पी.ई.)	55
(जिसमें से उच्च मूल्य हकदारी)	(15)
(ख) विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम.ई.ई.)	15
(ग) तैयार माल निर्यातकों की हकदारी (आर.जी.ई.)	25
(घ) गैर कोटा निर्यातक हकदारी (एन.क्यू.ई.)	5
योग	100 प्र.श.

(घ) **मेड अप (मिलनिर्मित एवं विद्युत करघा)**

प्रणाली	
(क) विगत निर्यात हकदारी (पी.पी.ई.)	55
(जिसमें से उच्च मूल्य हकदारी)	(15)
(ख) विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम.ई.ई.)	15
(ग) तैयार माल निर्यातकों की हकदारी (आर.जी.ई.)	15
(घ) गैर कोटा निर्यातक हकदारी	5
(ङ) विद्युत करघा निर्यातक हकदारी (पी.ई.ई.)	10
योग	100 प्र.श.

(ङ) मेड अप (हथकरघा)

(2) संयुक्त राज्य अमरीका में मात्रा संबंधी प्रतिबंधों के अन्तर्गत हथकरघा मेड अप मदें निम्नोक्त अनुसार आबंटित की जायेंगी।

प्रणाली	वार्षिक स्तर का प्रतिशत
(क) विगत निर्यात हकदारी (पी.पी.ई.)	55
(जिसमें से उच्च मूल्य हकदारी)	(15)
(ख) तैयार माल निर्यातकों की हकदारी (आर.जी.ई.)	40
(घ) गैर कोटा निर्यातकों की हकदारी (एन.क्यू.ई.)	5
योग	100 प्र.श.

(3) उपरोक्त के अलावा, अभ्यर्पणों, लोचशीलताओं या अन्यथा के परिणामस्वरूप समय-समय पर जो मात्रा उपलब्ध होगी उसका आबंटन भी तैयार माल निर्यात हकदारी प्रणाली के अर्न्तगत किया जायेगा।

(4) मांगपैटर्न अथवा प्रासंगिक कारकों में परिवर्तनों को देखते हुए यदि वांछनीय समझा गया तो उपरोक्त से भिन्न हकदारियाँ आबंटित करने का अधिकार भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के पास सुरक्षित होगा।

5. विगत निर्यात हकदारी (पी.पी.ई.) प्रणाली

अभिकरण

(1) सूती यार्न, फैब्रिक तथा मेड-अप मदों के सम्बन्ध में पी. पी. ई. के परिकलन के लिए अभिकरण कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल होगा। यूरोपीयन यूनियन के श्रेणी 3, 3क एवं 23 के संबंध में सम्बन्धित अभिकरण सचिव, सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद होगा,

परिकलन

(2) उपलब्ध मात्रा का परिकलन निम्नलिखित ढंग से किया जायेगा:—

(क) उपलब्ध मात्रा का समानुपात आबंटन आवेदन कर्ताओं द्वारा प्रत्येक देश-श्रेणी में आधार वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के मूल्य के आधार पर किया जाएगा। तथापि, आवंटन को आधार वर्ष के दौरान उक्त देश (श्रेणी) में भारत के वार्षिक औसत निर्यात की सीमा तक प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा।

(ख) ऐसे सभी निर्यातकों, जिन्होंने आधार वर्ष के दौरान एक देश-श्रेणी विशेष में विगत निर्यात हकदारी के लिए आवेदन किया है, द्वारा प्राप्त औसत इकाई मूल्य का आकलन किया जायेगा तथा ऐसे निर्यातकों, जिन्होंने औसत इकाई मूल्य से अधिक इकाई मूल्य वसूल किया है, उन्हें 15 प्रतिशत आरक्षित पूल (एच.वी.ई.) से अतिरिक्त मात्रा आवंटित की जायेगी जो कि एक निर्यातक द्वारा वसूली गए इकाई मूल्य तथा एक देश-श्रेणी से वसूले गए औसत मूल्य के अन्तर को उस देश-श्रेणी में अलग-अलग निर्यातकों द्वारा निर्यातित मात्रा द्वारा गुणा करके निकाली गई मात्रा पर आधारित होगी। यूरोपीयन यूनियन की श्रेणी 2, 2क तथा 3, 3क के अन्तर्गत उच्च मूल्य हकदारी के लिए वसूली का परिकलन रुपये प्रति किलो ग्रा. के बजाय रुपये प्रति वर्ग मीटर के आधार पर किया जायेगा।

हस्तांतरण

(3) विगत निर्यात निष्पादन हकदारी की मूल वैधता अवधि के दौरान विगत निर्यात हकदारी पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से हस्तांतरणीय होगी।

(4) यार्न एवं मेड-अप मदों की हकदारी को हस्तांतरण करने की अनुमति केवल 31 मई तक तथा फैब्रिक मदों की हकदारी को हस्तांतरण करने की अनुमति केवल 31 मार्च तक होगी।

पी.पी.टी.

(5) हस्तांतरित विगत निर्यात हकदारी (पी पी ई) को पी पी टी के नाम से जाना जायेगा।

(6) पी.पी.टी. के आधार पर निर्यात की गणना हस्तांतरण कर्ता द्वारा किये गये निर्यात के रूप में की जायेगी।

(7) पी.पी.टी. के हस्तांतरण की अनुमति नहीं है।

(8) पी.पी.टी. की वैधता को 30 सितम्बर से 31 दिसम्बर तक निम्न पैरा 10 (3) के प्रावधानों के तहत बढ़ाया जा सकता है।

6. विनिर्माता निर्यातक हकदारी प्रणाली

अभिकरण

(1) इस प्रणाली के अंतर्गत आवंटन उन विनिर्माता-निर्यातकों को किया जायेगा जिन्होंने आधार वर्ष के दौरान अपने संयंत्र तथा मशीनरी में पर्याप्त रूप से प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन किया है। पात्रता के मानदण्ड तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों को वस्त्र आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(2) इस प्रणाली की व्यवस्था के अंतर्गत विनिर्माता-निर्यातक की पात्रता तथा उत्पादन क्षमता निर्धारित करने का प्राधिकार वस्त्र आयुक्त को होगा।

(3) इस व्यवस्था के अंतर्गत आवंटन केवल उन वस्तुओं के लिए होगा, जिनका विनिर्माण वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित आधुनिकीकृत तथा उन्नत

उत्पादन एकक में होगा।

(4) आबंटी को लदान के समय यह प्रमाणित करना होगा कि निर्यात की जा रही वस्तुओं का विनिर्माण उन उत्पादन एककों में हुआ है जो आधुनिकीकृत उन्नत हैं।

परिकलन

(5) उपलब्ध मात्रा, वस्त्र आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित पात्र आवेदकों को उत्पादन क्षमता के आधार पर कार्यकारी निदेशक, टैक्सप्रोसिल द्वारा वितरित की जाएगी। उपर्युक्त आवंटन हेतु प्रत्येक पात्र आवेदक अधिक से अधिक सात श्रेणियों को चुन सकता है।

(6) जब किसी भी श्रेणी में किसी आवेदक को आवंटित की गई मात्रा (वस्त्र आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित) बहुत कम होती है, कार्यकारी निदेशक, टैक्सप्रोसिल ऐसे तरीके से ऐसी मात्रा का पुनर्आबंटन करेगा ताकि प्रत्येक आवेदक को आवंटित की गई मात्रा पर्याप्त रूप से अधिक हो।

हस्तांतरण

(7) इस प्रणाली के तहत आवंटन को हस्तांतरण करने की अनुमति नहीं है।

7. तैयार माल निर्यातक हकदारी (आर जी ई) प्रणाली

तरीका

(1) मात्राएं एफ ओ बी मूल्य की 5 प्र.श. की दर पर ई एम. डी./वी.जी. के प्रति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित की जाएंगी।

(2) किसी दिन विशेष को जब उपलब्ध मात्रा से अधिक मात्रा आवंटित होती है, पात्रता उस दिन को प्राप्त आवेदन पत्रों के बीच उच्चतर मूल्य आधार पर निश्चित की जायेगी।

अधिकतम मात्रा

(3) वस्त्र आयुक्त, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, तैयार माल निर्यात प्रणाली के अन्तर्गत किसी निर्यातक द्वारा एक दिन में प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए लागू होने वाली अधिकतम मात्रा का निर्धारण कर सकता है।

8. गैर कोटा निर्यातक हकदारी (एन. क्यू. ई.) प्रणाली

अभिकरण

(1) सूती यार्न, फैब्रिक तथा मेड अप के संबंध में गैर कोटा निर्यातक हकदारी (एन.क्यू.ई.) का परिकलन करने का अभिकरण कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल होगा, यूरोपीयन यूनियन की श्रेणी 3, 3क तथा 23 के संबंध में सचिव, सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद संबंधित अभिकरण होगा।

परिकलन

(2) एन.क्यू.ई. का परिकलन निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा :—

(क) गैर कोटा हकदारियों का वितरण, आधार वर्ष के दौरान गैर कोटा देशों को यार्न, फैब्रिक तथा मेड अप मदों के निर्यात तथा कोटा देशों को गैर कोटा मदों के निर्यात पर आधारित होगा बशर्ते कि भुगतान मुक्त मुद्रा में प्राप्त हो तथा निर्यातक का न्यूनतम निर्यात निष्पादन आधार वर्ष के दौरान 15 लाख रु० मूल्य का हो।

(ख) इस प्रणाली के अंतर्गत हकदारी का परिकलन आधार वर्ष के दौरान निर्यात के मूल्य के आधार पर किया जाएगा तथा उपलब्ध मात्रा का वितरण विशिष्ट आवेदन कर्त्ताओं के यार्न, फैब्रिक तथा मेड अप के पृथक रूप से किये गये निर्यात के मूल्य के समानुपात आधार पर किया जाएगा। तथापि इस पद्धति के अन्तर्गत हकदारी निर्धारित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित थ्रस्ट देशों को निर्यातों को दुगुना महत्त्व दिया जाएगा :—

"स्विटजरलैंड, बल्गारिया, चैक गणराज्य, स्लोवेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, जापान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेन्टीना, ब्राजील, चिली, मैक्सिको, नीदरलैंड एन्टीलीस, पानामा, कुराकुआ बेनेजुएला, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अरमेनिया, अजरबेजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जारजिया, कजाकिस्तान, किरगिजस्तान, लाटविआ, लिथुआनिआ, मालडोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उक्रेन, उजबेकिस्तान"

(ग) एक निर्यातक को आवंटन के लिए सात देशों-श्रेणियों के मिश्रण का विकल्प की अनुमति होगी।

शर्तें

(3) विगत निर्यात हकदारी (पी.पी.ई.) पर लागू होने वाली सभी शर्तें आवश्यक परिवर्तनों सहित गैर कोटा निर्यातक हकदारी (एन.क्यू.ई.) पर भी लागू होंगी।

हस्तांतरण

(4) गैर कोटा निर्यातक हकदारी (एन क्यू ई) हस्तांतरणीय है (जिसे इसके पश्चात् एन क्यू टी के रूप में उल्लिखित किया गया है) तथा इसके अंतरण की शर्तें वही होंगी जोकि पी पी ई के मामले पर लागू होती है। एन क्यू टी अहस्तांतरणीय है।

(5) पी.पी.टी. पर लागू होने वाली सभी शर्तें आवश्यक परिवर्तनों सहित एन.क्यू.टी. पर भी लागू होंगी।

9. **विद्युतकरघा निर्यातक हकदारी (पी.ई.ई.) प्रणाली**

वस्त्र आयुक्त, पी.ई.ई. प्रणाली के अंतर्गत आवंटन की पात्रता के मार्गदर्शी सिद्धातों तथा मानदण्डों को अलग से अधिसूचित करेंगे।

10. **आवंटन अवधि एवं हकदारी की पुनर्वैधता**

(अ) **पी.पी.ई., एन.क्यू.ई., पी.ई.ई. तथा एम.ई.ई. प्रणालियां**

(1) उपयुक्त प्रणालियों में उद्दिष्ट की गई मात्राएं कोटा वर्ष की 1 जनवरी को उपलब्ध होंगी तथा इस प्रयोजन के लिए पूर्व वर्ष के दौरान आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा सकते है।

(2) आवंटन के उपयोग के उद्देश्य के लिए विगत निर्यात हकदारी, गैर कोटा निर्यात हकदारी विद्युतकरघा निर्यात हकदारी तथा विनिर्माता निर्यातक हकदारी प्रणालियों के संबंध में एकल अवधि अर्थात जनवरी-सितम्बर होगी। निर्यातकों को 30 सितम्बर तक अपने आवंटन का उपयोग कर लेना चाहिये।

अप्रयुक्त हकदारियों की पुनर्वैधता

(3) 30 सितम्बर के बाद अप्रयुक्त मात्रायें निम्नलिखित दर से पेशगी जमा राशि/बैंक गारन्टी/उत्तर दिनांकित चेक पर उसी वर्ष के 31 दिसम्बर तक बढ़ाई जा सकती है।

मद	मात्रा
यूरोपीयन यूनियन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यार्न	5 रुपये प्रति किलो
यूरोपीयन यूनियन तथा नार्वे के लिए फैब्रिक मेड अप मदें	10 रुपये प्रति किलो
संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के लिए फैब्रिक तथा	2 रुपये प्रति वर्ग मीटर अथवा
मेड अप मदें	2 रुपये प्रति दर्जन, जो भी हो
अन्य मदें	एफ ओ बी मूल्य का 5 प्रतिशत

पेशगी जमा राशि के स्वीकार्य रूप

(4) पेशगी जमा राशि नगद जमा/चेक/पे आर्डर/बैंक गारन्टी के रूप में स्वीकार्य होगी।

(5) यदि उत्तरदिनांकित चेक से कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल/सचिव, सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को वसूली करने में कोई बाधा आती है तो वह उपयुक्त मात्रा को संबंधित निर्यातक के हकदारियों में नामे डालकर उस निर्यातक को जब तक कि वह चेक में लिखित रुपये टैक्सप्रोसिल/एसआरटीईपीसी पेशगी जमा राशि या बैंक गारन्टी के रूप में जमा नहीं कर लेता, निर्यात करने से प्रतिषेध करेगा।

(ब) **आर जी ई प्रणाली**

(6) तैयार माल निर्यातक हकदारी प्रणाली के अन्तर्गत हकदारियों प्रत्येक वर्ष में पूर्व निर्धारित तारीखों को जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर माह के दौरान चार बार खोली जायेंगी। लक्ष्य के 75 प्रतिशत को जनवरी, अप्रैल के दौरान रिलीज किया जायेगा और शेष 25 प्रतिशत को जुलाई और अक्टूबर के दौरान रिलीज किया जायेगा।

(7) यदि पूर्व निर्धारित तारीख के बीच इस प्रणाली के अंतर्गत आवंटन के लिए अतिरिक्त मात्राएं उपलब्ध हो जाती हैं तो संबंधित एजेंसी द्वारा ऐसी मात्राएं वस्त्र मंत्रालय के अनुमोदन से व्यापार क्षेत्र को समुचित दिनों का नोटिस देने के बाद किसी भी समय रिलीज कर दी जायेंगी।

वैधता अवधि बढ़ाना

(8) आर जी ई हकदारियों की वैधता अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. **प्रमाणीकरण की वैधता**

तैयार माल निर्यातक प्रणाली के अन्तर्गत प्रमाणीकरण की वैधता शिपिंग बिल पर के पृष्ठांकन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के लिए होगी। विगत निर्यातक हकदारी/विनिर्माता निर्यातक हकदारी/गैर कोटा निर्यातक/विद्युतकरघा निर्यातक हकदारी तथा अन्तरित विगत निर्यात तथा गैर कोटा हकदारियों की वैधता शिपिंग बिल पर पृष्ठांकन की तिथि से 30 दिनों की अवधि अथवा हकदारी प्रमाणपत्र की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक होगी। वस्त्र आयुक्त यदि इस बात से संतुष्ट हैं कि निर्यातक ऐसी परिस्थितियों के कारण निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात नहीं कर सका जो कि उसके नियंत्रण से बाहर थी तो वह प्रत्येक मामले में तीन कार्य दिवसों की अवधि तक वैधता की अवधि को बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है।

12. **कम कारोबार वाली मदें**

(1) एक मद को कम कारोबार वाली मद के रूप में अधिसूचित किया जाएगा यदि आधार वर्ष के दौरान उसका उपयोग, उक्त वर्ष के आधार स्तर के 75 प्रतिशत से कम रहा हो। कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल/सचिव, सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद पिछले वर्ष के अधिक से अधिक 1 दिसम्बर तक उन मदों को अधिसूचित करेगा जो कम कारोबार वाली मदें हैं।

(2) कम कारोबार वाली मदों के लिए इस अधिसूचना के किसी भी उपबंध में निहित व्यवस्था के बावजूद जहां कहीं भी ई एम डी/पी जी लागू होती है वहां यह तैयार निर्यातक हकदारी प्रणाली के अन्तर्गत माल लदान के लिए एफ ओ बी मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से प्रभारित होगी।

(3) तथापि, यह छूट किसी पूर्व सूचना के वापिस ली जा सकती है।

13. पेशगी जमा राशि (ई.एम.डी.) बैंक गारन्टी (बी.जी.)/उत्तरदिनांकित चेक (पी.डी.सी.) जब्त करना

(1) जो निर्यातक हकदारी को 90 प्रतिशत या उससे अधिक का निर्यात करता है उसकी इ.एम.डी./बी. जी./पी. डी. सी. की पूरी राशि रिलीज कर दी जाएगी।

(2) जैसा कि उसके पश्चात व्यवस्था है उस निर्यातक की ई एम डी/ बी जी/पी डी सी जब्त कर ली जाएगी जो कि पी पी टी व एन क्यू टी सहित निर्यात हकदारी के 90 प्रतिशत से कम निर्यात करता है। कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल सचिव, सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात सवर्धन परिषद अधिक कारोबार वाली मदों के मामले में यदि उपयोग 75 प्रतिशत तक होता है तथा कम कारोबार वाली मदों के मामले में यदि उपयोग 50 प्रतिशत तक होता है तो उस स्थिति में उपयोग में कमी रहने के समानुपात ई एम डी/बी जी जब्त कर लेगा। यदि उपयोग उपर्युक्त से कम होता है तो ई एम डी/ बी जी/ पी डी सी की पूरी राशि जब्त कर ली जायेगी।

(3) इस प्रयोजन के लिए उपयोग का परिकलन प्रत्येक प्रणाली के आधार पर पृथक रूप से किया जायेगा। वैधता/प्रमाणीकरण की अवधि बढ़ाने के मामले में उस मात्रा के लिए उपयोग के प्रतिशत का पृथक रूप से परिकलन किया जाएगा जिसके लिए प्रमाणीकरण वैधता की अवधि बढ़ाई गई है।

(4) जब्त की गई ई एम डी/ बी जी/ पी डी सी की समस्त राशि सरकार के पब्लिक डिपाजिट खाते में जमा कर दी जाएगी जिसका संचालन उसी प्रकार से होगा जैसा कि सरकार समय समय पर निर्देशित करेगी।

(5) जिन व्यक्तियों को निर्यात हकदारियां आबंटित की जाती है यदि वे इनका पूरी तरह से उपयोग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ की जाने वाली किसी भी कार्यवाई के संबंध में बिना किसी पूर्वाग्रह के भविष्य में वे इन हकदारियों के लिए अयोग्य घोषित किये जाने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(6) जब्ती के पूर्व एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

(7) यदि एक निर्यातक किसी भी प्रणाली के अर्न्तगत मूल वैधता अवधि के दौरान अथवा वैधता की समाप्ति से 3 दिनों की अवधि के भीतर अपनी हकदारियां वापिस लौटा देता है तो उस स्थिति में हकदारी के अंतर्गत शामिल की गई ई एम डी/बैंक गारंटी/पी डी सी की 50 प्रतिशत राशि निर्यातक को रिलीज कर दी जाएगी।

14. ई एम डी/बी जी/पी डी सी जब्ती के खिलाफ अपील

एक निर्यातक को जब उपयुक्त पैरा 13 के अंतर्गत कार्यकारी निदेशक, टैक्सप्रोसिल/सचिव, सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात सवर्धन परिषद द्वारा जब्ती के आदेश से हानि पहुँचती है तो वह जब्ती की ऐसी सूचना के प्रेषण के 60 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त ऐसे अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर यथाशीघ्र निर्णय लेगा। अपीलों को निपटाते समय वह अपरिहार्य घटना की स्थितियो के अलावा अधिसूचना में परिभाषित जब्ती की शर्तों को भी ध्यान में रखेगा। इस प्रयोजन के लिए वस्त्र आयुक्त से अभिप्राय वस्त्र आयुक्त तथा उसके द्वारा मनोनीत किए गए अन्य अधिकारी से होगा। अपीलकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर वह उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान करेगा। यदि निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से संतुष्ट नही है तो वह इस आशय के निर्णय की सूचना भेजने से 60 दिनों के भीतर ऐसे निर्णय के खिलाफ अपीली समिति, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 के समक्ष अपील कर सकता है अपील अपीली समिति के सदस्य सचिव के पास भेजी जायेगी।

(2) अपीली समिति का गठन निम्नोक्त अनुसार होगा :—

सयुक्त सचिव (निर्यात) वस्त्र मत्रालय	अध्यक्ष
विधि एवं न्याय मत्रालय का एक अधिकारी	सदस्य
नियात आयुक्त	सदस्य
निदशक/उपसचिव (निर्यात) वस्त्र मंत्रायल	सदस्य-सचिव

15 रोके गये माल को रिलीज करवाने के मार्गदर्शी सिद्धांत

(क) जहा आयातक दश द्वारा आयात की नई गैर नियतांश (गैर कोटा) मद अथवा किसी अन्य नियतांश (कोटा) मद को कोटा मद की श्रेणी मे पुन वर्गीकृत किया जाता है तो वहा पुन.वर्गीकृत श्रेणी के लिए ई सी/वीजा, निर्यातक द्वारा आर जी ई प्रणाली को छोड़कर किसी भी प्रणाली मे आवश्यक कोटा को वापिस किए जाने के बाद को जारी किया जायेगा यदि आर जी ई प्रणाली मे आवंटन के लिए हकदारियो अधिशेष रहती हैं तो उस स्थिति में निर्यातक द्वारा कोई कोटा वापिस किए बिना पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अधिशेष नामे डाल कर ई सी/वीजा जारी कर दिया जाये। इस पैरा के अनुबंध उन मामलो मे भी लागू होगे जिनमे नियात करने के लिए खरीदार को बदलने की आवश्यकता हो जो कि आर जी ई प्रणाली में या 30 सितम्बर के बाद समय वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात किसी अन्य पणाली मे प्रभावित हुआ हो तथा उन मामलों में जिनमें आयातक देशो मे परिवर्तन की आवश्यकता हो।

(ख) जब कोटा श्रेणी की निर्यात के लिए निर्यात की गई वस्तुओं को उपर्युक्त अनुसार अन्य श्रेणी मे पुन:वर्गीकृत किया जाता है तो तब देश से जहाज मे भेजने के लिए प्रयुक्त हकदारी निम्नलिखित शर्तों पर निर्यातक को वापिस की जाए :

(1) निर्यातक उस मूल ई सी/वीजा को वापिस कर दे जो कि उसे जारी किया गया था।

(2) हकदारी प्रमाणपत्र, जिसे निर्यात के समय नामे डाला गया था, अनुरोध किए जाने पर सबंधित मात्रा के लिए वैध बना रहेगा।

(ग) जहां निर्यातक को पुन: वर्गीकृत श्रेणियों के लिए कोटा वापिस करना अपेक्षित होता है, ऐसे मामलों में उसे पी पी ई, एन क्यू ई, एम ई ई या पी ई ई में अपनी हकदारियों अथवा हस्तांतरण से प्राप्त की गई हकदारियों में से भी ऐसा करने की अनुमति है यदि मामले का निपटान 1 अक्टूबर के बाद किया जाना है जबकि अन्तरण करने की अनुमति नहीं है तथा वापिस करने के लिए निर्यातक के पास अपनी निजी हकदारियां नहीं है तो उस स्थिति में वह इस आशय का परिकलन प्रस्तुत करेगा कि वह उत्तरवर्ती वर्ष की हकदारी से (निजी या हस्तांतरित) 31 जनवरी तक अपेक्षित मात्रा को वापिस कर देगा। ऐसे परिवचन पत्र के साथ निम्नतर कीमत मूल्य पर परिकलित की गई मात्रा के मूल्य के 50 प्रतिशत तक की राशि की पेशगी जमा राशि बैंक गारंटी दी जानी चाहिए ऐसे मामलों में उत्तरवर्ती वर्ष के लिए निर्यातक को किसी भी देश। श्रेणी में पी पी , एन क्यू, एम ई, पी ई हकदारियों का आवंटन अपेक्षित मात्रा वापिस करने के बाद ही किया जाये। यदि मात्रा वापिस नहीं की जाती है तो पेशगी जमा राशि बैंक गारंटी जब्त कर दी जाये।

16. **निर्यातकों द्वारा कोटा संबंधी अनाचार से निपटने की प्रक्रिया**

(1) एक समिति जिसे प्रवर्तन समिति कहा जायेगा का गठन निम्नोक्त अनुसार होगा :

1.	वस्त्र आयुक्त	अध्यक्ष
2.	विधि एवं न्याय मंत्रालय का एक अधिकारी (विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा यथानामित)	सदस्य
3.	अध्यक्ष, टेक्सप्रोसिल	सदस्य
4.	उपाध्यक्ष/उपसभापति टेक्सप्रोसिल	सदस्य
5.	कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल	सदस्य
6.	सचिव, टेक्सप्रोसिल	सदस्य-सचिव

यदि समिति यूरोपीयन यूनियन की श्रेणी 3, 3अ या 23 के उत्पादों के निर्यात में अनाचार से संबंधित मामलों पर विचार करती है तो अध्यक्ष और सचिव, सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया जायेगा।

(2) प्रवर्तन समिति ऐसे मामलों पर विचार करेगी जिसमें कि कोटा प्राप्त करने, इसकी अवधि बढ़ाने, कोटा का उपयोग करने या कोटा के उपयोग को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक का भी प्रयोग किया हो—

(क) कोई भी कपटपूर्ण कार्य

(ख) तथ्यों का अयथार्थ विवरण

(ग) दस्तावेजों का अन्यथाकरण या जालसाजी

(घ) हकदारियों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए ऐसे उत्तरदिनांकित चेक देना जिनका बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान न हो।

(3) प्रवर्तन समिति ऐसे मामलों पर भी विचार करेगी जिनमें यह पाया गया हो कि किसी निर्यातक ने किसी ऐसी वस्तु का निर्यात किया हो या निर्यात करने के लिए औपचारिकताएं पूरी की हो, जिसमें कि किसी ऐसे रंग, रसायन, रंगद्रव्य या अन्य वस्तु का प्रयोग किया हो जिस पर सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रतिबन्ध लगाया हो।

(4) उन मामलों में जहां समिति निर्यातक के स्पष्टीकरण की जांच करने तथा उसे व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देने के पश्चात् निर्यातक धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं जो कि ऊपर लिखित किसी भी प्रावधान के उल्लंघन करने के लिए दोषी पाती है तो निर्यातक को विशिष्ट अवधि के लिए हकदारियां प्राप्त करने तथा निर्यात हकदारी वितरण प्रणाली में भाग लेने से विवार्जित किया जाये।

(5) गम्भीर मामलों में कार्यकारी निदेशक, टेक्सप्रोसिल/सचिव, सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद व्यक्तिगत सुनवाई से पहले, प्रक्रिया के पूरा हुये बगैर तथा समिति द्वारा निर्णय को अन्तिम रूप देने से पूर्व निर्यातक को अस्थाई तौर पर विवार्जित कर सकता है।

(6) प्रवर्तन समिति के निर्णयों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई एक प्रवर्तन अपील समिति जिसका गठन निम्नोक्त अनुसार होगा करेगी।

संयुक्त सचिव (निर्यात), वस्त्र मंत्रालय	अध्यक्ष
विधि एवं न्याय मंत्रालय का एक अधिकारी (विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा यथानामित)	सदस्य
निर्यात आयुक्त	सदस्य
निदेशक/उपसचिव (निर्यात) वस्त्र मंत्रालय	सदस्य-सचिव

(7) प्रवर्तन अपीली समिति निर्यातक से अपील प्राप्त होने पर अथवा टेक्सप्रोसिल सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद से स्वयं ब्यौरे मंगा कर प्रवर्तन समिति के आदेशों की समीक्षा, संशोधन, आशोधन कर सकती है अथवा उनको रद्द कर सकती है।

17. **सीमा शुल्क विभाग द्वारा क्लीयरेंस**

(1) **प्रतिबंध अधीन उत्पाद**

पोतलदान बन्दरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पोतलदान की अनुमति, निर्यात हकदारी के प्रमाणन के मूल पत्रों की तथा टेक्सप्रोसिल अथवा इस प्रयोजनार्थ मनोनीत किसी अन्य उपयुक्त अभिकरण द्वारा अलग-अलग माल के लिए जारी किए गये शिपिंग बिलों की जांच करने के बाद की जाएगी।

(2) **हथकरघा उत्पाद**

जहां तक प्रतिवांछित मदों के समानुरूप समस्त हथकरघा फैब्रिक मेड अप मदों के निर्यात का संबंध है सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति, वस्त्र समिति द्वारा संयोजन प्रपत्र के भाग-2 में निरीक्षण संबंधी पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी।

(3) **इंडिया आईटम्स के अंतर्गत आने वाले मेड अप मदें**

इंडिया आईटम्स के संबंध में जो कि भारत की परम्परागत लोकरीति के हस्तशिल्प की वस्त्र उत्पाद मदें है, उनका संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय युनियन, कनाडा तथा नार्वे को निर्यात करने के उद्देश्य से पोतलदान की अनुमति, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जारी किये गए उपयुक्त प्रमाण पत्रों के आधार पर दी जायेगी।

18. **निर्यात प्रमाण-पत्र, मूल स्थान का प्रमाण पत्र तथा वीजा**

टैक्सप्रोसिल अथवा उसकी ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य निकाय द्वारा सम्बद्ध द्विपक्षीय वस्त्र करार के अन्तर्गत अपेक्षित निम्नलिखित प्रमाण पत्र जारी किए जायेंगे :—

(1) **संयुक्त राज्य अमरीका**

वाणिज्यिक मूल्य के समस्त मिल निर्मित। विद्युतकरघा फैब्रिक तथा मेड अप के माल के लिए वीजा तथा श्रेणी 363, श्रेणी 369 के अन्तर्गत आने वाले हथकरघा मेड अप के लिए वीजा।

(2) **यूरोपीयन यूनियन**

(क) विद्युतकरघा (मिल निर्मित) उदगम की सभी प्रतिबंधित मदों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र तथा उदगम प्रमाण पत्र।

(ख) विद्युतकरघा (मिल निर्मित) बुनी हुई उदगम की गैर प्रतिबंधित मदों के लिए मूल स्थान का प्रमाण पत्र।

(3) **कनाडा**

500 कनेडियन डालर से कम मूल्य के माल को छोडकर फैब्रिकों, मेड अप मदों, मिल निर्मित विद्युतकरघा बुनी हुई ऐसी मूल मदों के लिए जो कि प्रतिबंध अधीन है, निर्यात प्रमाण पत्र।

(4) नार्वे

श्रेणी 7 के अंतर्गत मूलतः विद्युतकरघा तथा मिल निर्मित चादरों के संबंध में निर्यात प्रमाण पत्र मूल स्थान का प्रमाण पत्र।

19. **हथकरघा पर छूट प्रमाण पत्र**

कनाडा को प्रतिबंधित मदों के समानुरूप समस्त हथकरघा फैब्रिक, मेड अप मदें यूरोपीयन यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका को समस्त हथकरघा फैब्रिक तथा मेड अप मदें तथा नार्वे को हथकरघा चादरों का निर्यात करने के मामले में ऐसे उत्पादों के लिए वस्त्र समिति द्विपक्षीय करारों में यथा निर्धारित प्रमाण पत्र जारी करेगी।

20. **वस्त्र आयुक्त की पर्यवेक्षकीय भूमिका**

वस्त्र आयुक्त, मुम्बई निर्यात हकदारियों के आवंटन से संबंधित मामलों का रोजाना पर्यवेक्षण करेगा। एक समन्वय समिति समय-समय पर नीति के प्रचालन की समीक्षा करेगी जिसमें वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे तथा सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ऐसे मामलों पर जिनमें विचारों में मतभेद हो, वस्त्र आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

21. सरकार के पास पूर्व सूचना दिए बिना उपर्युक्त किसी भी उपबंध में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

22. संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालयों के पते निम्नोक्त अनुसार हैं :—

1. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
न्यू सी जी ओ बिल्डिंग, न्यू मेरीन लाईन्स,
पोस्ट बाक्स नं. 11500,
मुम्बई-400 020

2. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद,
इंजीनियरिंग सेन्टर,
5वां तल, 9 मेथ्यू रोड,
मुम्बई-400 004

3. सिंथेटिक तथा रेयन वस्त्र संवर्धन परिषद,
रेशम भवन, 78 वीर नरीमन रोड,
मुम्बई-400 020

4. ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद,
612, अशोका एस्टेट,
24 बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली-110 001

5. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद,
18 कैथेड्रल गार्डन रोड,
पोस्ट बैग न. 461, नुंगमबक्कम,
मद्रास-600 034

6. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प),
वेस्ट ब्लाक न. 7, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110 066

7. वस्त्र समिति,
"क्रिस्टल", 79 डा. एनी बिसेन्ट रोड,
वोर्ली, मुम्बई-400 018

एन. रामाकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 1996

F. No. 1/17/96-EP(T&J) I :— Subject : Conditions applicable for the period of 1997-99 for exports of certain Yarn, Fabric and Made-up items to countries where such exports are covered by restraints under the provisions of the Agreement on Textiles and Clothing.

1. Introduction

Pursuant to the provisions contained in Item No. 11 of Appendix XLIII-I of Volume I of the Handbook of Procedures published under the Export and Import Policy (1992-1997), in respect of exports of Yarn, Fabric and Made-up items to the USA, Canada, the European Union and Norway, the policy for allotment of entitlements, (hereinafter referred to as the Allotment Policy) for the years 1997 to 1999 shall be as hereinafter detailed.

2. Administration

(i) Unless otherwise directed, the Executive Director, the Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL) shall allocate entitlements of all Yarn, Fabric and Made-up items, except for categories 3/3a and 23/EU, allotments of which will be made by the Secretary, Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC). However, necessary certification for all such exports shall be done by TEXPROCIL only.

(ii) For the purpose of the above, the "Executive Director, TEXPROCIL", and "Secretary, SRTEPC" shall mean and include such other officials who are duly authorised to exercise the necessary powers, functions and responsibilities or who are delegated with necessary powers, functions and responsibilities.

(iii) The Executive Director, TEXPROCIL and Secretary, SRTEPC, notwithstanding any delegation effected by them, shall be accountable to the Ministry of Textiles for implementation of the Policy.

(iv) The Ministry of Textiles shall be the final authority regarding the interpretation of any of the provisions of this notification. The Ministry of Textiles may also issue such guidelines as it deems fit from time to time, regarding agencies of administration, their functions and responsibilities and may reallocate part or whole of the functions and responsibilities to such authorities as it deems fit.

(v) Export entitlements will be allotted only to exporters registered with the competent registering authorities under the Export Import Policy.

3. Base Year

The phrase "Base Year" for an allotment year, wherever appearing in this Notification, shall mean the calendar year preceding the year immediately before that allotment year. For example the base year for the year 1997 shall be the year 1995.

4. Systems of Allotment

(i) Quantities for export in each allotment year shall be allocated according to the following systems at rates indicated against each of them:—

(A) Yarn

	System	Percentage of Annual level
(a)	Past Performance Entitlement (PPE)	55
	(of which High Value Entitlement)	(15)
(b)	Manufacturer-Exporters' Entitlement (MEE)	15
(c)	Ready Goods Exporters' Entitlement (RGE)	25
(d)	Non-Quota Exporters' Entitlement (NQE)	5
	Total	100%

2513 GI-96-

(B) Fabrics (Other than Cat. 3, 3a/EU)

System	Percentage of Annual level
(a) Past Performance Entitlement (PPE)	55
(of which High Value Entitlement)	(15)
(b) Manufacturer-Exporters' Entitlement (MEE)	15
(c) Ready Goods Exporters' Entitlement (RGE)	15
(d) Non-Quota Exporters' Entitlement (NQE)	5
(e) Powerloom Exporters' Entitlement (PEE)	10
Total	100%

(C) Fabrics (For Cat. 3, 3a/EU)

System	Percentage of Annual level
(a) Past Performance Entitlement (PPE)	55
(of which High Value Entitlement)	(15)
(b) Manufacturer-Exporters' Entitlement (MEE)	15
(c) Ready Goods Exporters' Entitlement (RGE)	25
(d) Non-Quota Exporters' Entitlement (NQE)	5
Total	100%

(D) Made-ups (Millmade/Powerloom)

System	Percentage of Annual level
(a) Past Performance Entitlement (PPE)	55
(of which High Value Entitlement)	(15)
(b) Manufacturer-Exporters' Entitlement (MEE)	15
(c) Ready Goods Exporters' Entitlement (RGE)	15
(d) Non-Quota Exporters' Entitlement (NQE)	5
(e) Powerloom Exporters' Entitlement (PEE)	10
Total	100%

(E) Made-ups (Handloom)

(ii) The handloom made-up items under quantitative restraint in USA shall be allocated as follows:

System	Percentage of Annual level
(a) Past Performance Entitlement (PPE)	55
(of which High Value Entitlement)	(15)
(b) Ready Goods Exporters' Entitlement (RGE)	40
(c) Non-Quota Exporters' Entitlement (NQE)	5
Total	100%

(iii) Apart from the above, quantities that become available from time to time on account of surrenders, flexibilities or otherwise shall also be allocated under the RGE System.

(iv) The Government of India, in the Ministry of Textiles reserves the right to allocate entitlements in variation with the above, in case it is considered so desirable in view of changes in demand patterns or other relevant factors.

5. Past Performance Entitlement (PPE) System

Agency

(i) The agency for computation of PPE in respect of cotton yarn, fabric and made-up items will be the Executive Director, TEXPROCIL. In respect of categories 3/3a and 23/EU, the Secretary, SRTEPC will be the agency concerned

Computation

(ii) Computation of available levels shall be done in the following manner:

(a) Available levels will be allotted pro-rata on the value of exports during the base year by the applicants in each country-category. Allotments, however, will be restricted to the average annual export performance of India in the country-category during the base year.

(b) The average unit value realised by all exporters who have applied for PP Entitlement in a particular country-category during the base year would be worked out and exporters who have realised higher unit value than the average unit value will be allotted additional quantities from the 15% reserved pool (HVE) on the basis of the difference between the unit value realised by an exporter and the average value realised in a country-category multiplied by the quantity exported by the individual exporters in that country-category. For allotment of High Value Entitlement under categories 2, 2a, 3 and 3a/EU, the realisation will be calculated in terms of Rupees per Square Metre instead of in terms of Rupees per Kilograms.

Transferability

(iii) PPE shall be transferable, either in full or in part, during the period of original validity of PPE.

(iv) Transfer of yarn entitlements and for made-up items will be allowed only till 31 May and transfer of fabric entitlements only till 31 March.

P.P.T.

(v) The transferred PPE will be known as PPT.

(vi) Shipments against PPT shall be counted as exports by the transferee.

(vii) Transfer of a PPT is not allowed.

(viii)The validity of PPT can be extended from 30 September to 31 December, subject to the provisions of para 10(iii) below.

6. **Manufacturer Exporters' Entitlement (MEE) System**

Agency

(i) Allotment under this system shall be made to Manufacturer-Exporters' who have undertaken substantial modernisation and upgradation of technology in their plant and machinery during the base year. The guidelines and norms of eligibility for MEE will be notified by the Textile Commissioner.

(ii) The Textile Commissioner shall be the authority to decide the eligibility and production capacity of the Manufacturer-Exporters' within the meaning of this system.

(iii) Allotment under this system shall be only for the export of goods manufactured in the modernised and upgraded production unit as determined by the Textile Commissioner.

(iv) The allottees shall, at the time of certification of shipments, submit an affidavit that the goods being exported have been manufactured in their production units so modernised/upgraded.

Computation

(v) Available quantities under the MEE will be distributed by the Executive Director, TEXPROCIL on the basis of the production capacity of eligible applicants as decided by the Textile Commissioner. Each eligible applicant may opt for a maximum of seven categories for the above allotment.

(vi) When the quantity allotted to any applicant in any one category is too small (as decided by the Textile Commissioner), the Executive Director, TEXPROCIL shall reallocate such quantity in such manner that the quantities allotted to each of the applicants is reasonably large.

Transferability

(vii) Allotments under this system are Not transferable.

7. **Ready Goods Exporters' Entitlement (RGE) System**

System

(i) Quantities shall be allocated on first come first served basis agaisnt EMD/BG @ 5% of FOB value.

(ii) On a particular day, when available quantities are over-subscribed, eligibility shall be decided on the basis of inter-se higher unit value realisation among the applications received on the particular day.

Maximum quantity

(iii) The Textile Commissioner may fix the maximum quantity that can be applied for in each country-category under the RGE System by an exporter in one day, if the Textile Commissioner feels it necessary to do so.

8. **Non-Quota Exporters' Entitlement (NQE) System**

Agency

(i) The agency for computation of NQE in respect of cotton yarn, fabric and made-up items will be the Executive Director, TEXPROCIL. In respect of categories 3/3a (EU) and 23 (EU), the Secretary, SRTEPC will be the agency concerned.

Computation

(ii) Computation of NQE shall be done in the following manner:

(a) The Non-quota entitlements shall be distributed on the basis of the exports of yarn, fabric and made-up items during the base year to non-quota countries and exports of non-quota items to quota countries, provided the payment is received in free currency, and the exporter has a minimum export performance of Rs. 15 lacs during the base year.

(b) Entitlements under this system shall be computed on the basis of the value of exports during the base year and the levels available will be distributed pro-rata on the basis of the value of exports of individual applicants separately for yarn, fabrics and made-ups. However, exports to the following thrust countries will be given double weightage for the purpose of determining entitlements under the system:

"Switzerland, Bulgaria, Czech Republic, Slovak Republic, Hungary, Poland, Japan, Singapore, South Africa, Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Netherland Antilles, Panama, Curacao, Venezuela, Australia, Newzealand, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kryghyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan".

(c) An exporter shall be permitted a choice of seven country-category combinations for allotment.

Conditions

(iii) All conditions applicable to PPE shall also be applicable for NQE, mutatis-mutandis.

Transferability

(iv) NQE is transferable (such transferred entitlements hereinafter referred to as NQT) and the conditions of transfer will be the same as in the case of PPE. NQT is not transferable.

(v) All conditions applicble to PPT shall also be applicable to NQT, mutatis-mutandis.

9. Powerloom Exporters' Entitlement (PEE) System

The Textile Commissioner will separately notify detailed guidelines and norms of eligibility for allotments under the PEE system.

10. Period of allotment and Revalidation of Entitlements

(A) PPE, NQE, PEE & MEE SYSTEMS

(i) The quantities earmarked in the above systems shall be available on 1 January of the quota year and for this purpose, applications may be invited during the previous year. (ii) For the purpose of utilisation of allotments, there shall be a single period, viz. January-September in respect of PPE, NQE, PEE and MEE Systems. Exporters should utilise their entire allotments by 30 September.

Revalidation of unutilised entitlements

(iii) The unutilised quantities after 30 September can be extended upto 31 December of the same year against Earnest Money Deposits/Bank Guarantees/ Post Dated Cheques (PDC) at the rates given below:

Product group	Amount
Yarn to the EU/USA	Rs. 5 per Kg.
Fabric and made-up items to the EU/Norway	Rs. 10 per Kg.
Fabric and made-up items to the USA/Canada	Rs. 2 per Sq. Mtr. or Rs. 2 per dozen, as the case may be.
Any other item	5% of FOB value

Acceptable forms of E.M.D.

(iv) The EMD can be accepted by way of Cash Deposit/Cheque/Pay Order/Bank Guarantee.

(v) In case the ED, TEXPROCIL/ Secretary, SRTEPC faces a problem in realising the proceeds of a Post Dated Cheque, he shall debit equivalent quantities from the entitlements of the concerned exporter and debar him from exporting till the time he furnishes an amount equivalent to the unrealised amount to TEXPROCIL/SRTEPC in the form of EMD/BG.

(B). R.G.E. System

(vi) Entitlements under the RGE System shall be opened four times in the year on predetermined dates (to be announced by TEXPROCIL/SRTEPC) during the months of January, April, July and October 75% of the level will be released during January, April and the balance 25% during July and October.

(vii) In case additional quantities become available for allotment under this system between the predetermined dates, such quantities shall be released any time after giving adequate notice to the trade by the concerned Agency with the approval of the Ministry of Textiles.

Extension

(viii) No extensions would be permitted for RGE entitlements.

11. **Validity of Certification**

Validity of certification under the RGE System will be for a period of 30 dyas from the date of endorsement of the shipping bill. Validity of PPE/MEE/NQE/PEE and transferred PP and NQ Entitlements will be 30 days from the date of endorsement of the shipping bill or till the expiry of the entitlement certificate, whichever is earlier. The Textile Commissioner may grant extension of validity period upto three working days in individual cases if he is satisfied that the exporter concerned could not export within the period due to circumstances beyond his control.

12. Slow-moving items

(i) An item shall be notified as slow-moving, if, during the base year the utilisation has been less than 75% of the annual level for that year. The Executive Director, TEXPROCIL/Secretary, SRTEPC shall notify the items that are slow-moving, latest by 1st December of the previous year.

(ii) Notwithstanding anything else contained in any of the provisions of this notification, for slow-moving items, EMD/BG would be charged @ 1% of FOB value for shipments under the Ready Goods Entitlement System.

(iii) This relaxation may, however, be withdrawn without advance notice.

13. Forfeiture of EMD/BG/Post Dated Cheque

(i) The EMD/BG/Post Dated Cheque of an exporter who exports 90% or more of the entitlement would be released in full.

(ii) The EMD/BG/Post Dated Cheque of an exporter who exports less than 90% of the export entitlement (including PPT/NQT), shall be forfeited as hereinafter provided. The Executive Director, TEXPROCIL/Secretary, SRTEPC shall forfeit the EMD/BG in case utilisation is upto 75% in case of fast moving items and upto 50% in case of slow-moving items proportionate to the shortfall in utilisation. If utilisation is less than the above, the EMD/BG/Post Dated Cheque shall be forfeited in full.

(iii) For this purpose, utilisation shall be calculated on the basis of each system separately. In case of extension of validity/certification, percentage utilisation shall be computed separately for the quantity for which certification/validity has been extended.

(iv) All forfeited EMD/BG/Post Dated Cheques shall be deposited into a Public Deposit Account of the Government in such manner as Government directs from time to time.

(v) Persons to whom export entitlements are allocated but who do not utilise these fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlements in future without prejudice to any other action that may be taken against them.

(vi) A show cause notice shall be issued before forfeiture.

(vii) If an exporter surrenders his entitlements under any system either during the original validity period or within a period of 3 days of the expiry of the validity, 50% of the EMD/BG/Post Dated Cheque amount covered by the entitlement would be released to the exporter.

14. Appeal against forfeiture of EMD/BG/Post Dated Cheque

An exporter when aggrieved by an order of forfeiture by Executive Director TEXPROCIL/Secretary, SRTEPC under para 13 above may appeal before the Textile Commissioner within 60 days of despatch of such communication on forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of such representation give a ruling as early as possible. While disposing of appeals, he will take into consideration the conditions of forfeiture spelt out in the notification, in addition to force-majeure conditions. For this purpose the Textile Commissioner shall mean and include such other officer designated by him. He shall also give an opportunity for personal hearing, if requested for by the applicant. If the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 60 days of the despatch of the communication conveying the decision, to the Appellate Committee, Ministry of Textiles, Udyog Bhavan, New Delhi-110 001. The appeals shall be sent to the Member-Secretary of the Appellate Committee.

(ii) The composition of the Appellate Committee shall be as follows:

Joint Secretary (Exports), Ministry of Textiles	— Chairman
An Officer of the Ministry of Law and Justice	— Member
Export Commissioner	— Member
Director/Deputy Secretary (Exports) Ministry of Textiles	— Member-Secretary

15. Guidelines for obtaining release of held-up consignments

(a) Where a shipment effected in a non-quota item or in another restrained item is reclassified by the importing country into a restrained category, Export Certificates/Visas for the reclassified category should be issued after the exporter surrenders the necessary quota in any system other than RGE. If RGE balance is available for allotment, EC/Visas may be issued,

without the exporter surrendering any quota, by debiting to such RGE balance The stipulations of this para will also apply to cases where a change of buyer is required for a shipment that has been effected in the RGE System or in any of the other system after getting an extension beyond 30th September and to cases where a change of importing country is required

(b) Where a shipment exported in a restrained category is reclassified into another restrained category as above, the entitlement used for sending the shipment from the country may be returned to the exporter, subject to the following conditions

(i) The exporter returns the original EC/Visa that had been issued to him

(ii) The entitlement Certificate which had been debited at the time of export remains valid for the concerned quantity when the add back is requested

(c) In cases where the exporter is required to surrender quotas for reclassified categories, he should also be allowed to do so from his own entitlements in PPE, NQE, MEE or PEE or entitlements obtained by transfer If the case is to be cleared after October, when transfers are not permissible and the exporter does not have his own entitlements to surrender, he may furnish an undertaking to surrender the requisite quantity by 31st January of the succeeding year from the succeeding year's entitlements (his own or transferred) Such an undertaking should be backed by EMD/BG to the extent of 50% of the value of the quantity calculated at the rates mentioned in para 10(iii) In such cases, PP, NQ, ME, PE entitlements in any country-category to the exporter for the succeeding year may be allotted only after the requisite quantity is surrendered If the quantity is not surrendered, the EMD/BG may be forfeited

16. Procedure to deal with quota malpractices by exporters:

(i) A Committee called the Enforcement Committee is constituted with the following composition —

1	The Textile Commissioner	— Chairman
2	An officer of the Ministry of Law and Justice (to be nominated by the Ministry of Law and Justice)	— Member
3	Chairman, TEXPROCIL	— Member
4	Deputy Chairman and Vice Chairman, TEXPROCIL	— Members
5	Executive Director TEXPROCIL	— Member
6	Secretary, TEXPROCIL	— Member-Secretary

If the Enforcement Committee considers cases relating to malpractices in respect of export of category 3/3a (EU), Category 23 (EU) products, the Chairman and Secretary of SRTEPC would be invited for the meeting of the Committee

(ii) The Enforcement Committee will deal with cases involving the use of any one of the following, in connection with obtaining, extending, utilising or proving the utilisation of quotas —

(a) Any fraudulent activity.

(b) Any misrepresentation of facts

(c) Any falsification of documents of forgery.

(d) Submission of post-dated cheques for extension of entitlements which are dishonoured on presentation to his bank

(iii) The Enforcement Committee will also deal with cases relating to exporters who are found to have exported or who have completed the formalities to export any item, which contains any dyes, chemicals, pigments or other material whose handling is specifically banned by the competent authority of the Government.

(iv) In cases where the Committee finds the exporters guilty of fraud or other irregularities, which are violative of any of the above provisions, after examining his explanation and giving a personal hearing, the exporter may be debarred from obtaining entitlements and participating in the Export Entitlement Distribution Scheme for a specified period

(v) In serious cases, the exporter may be temporarily debarred by ED, TEXPROCIL, before personal hearing, pending the completion of the procedures and finalisation of a decision by the Committee.

(vi) An Enforcement Appellate Committee with the following composition will hear appeals against the decisions of the Enforcement Committee:

Joint Secretary (Exports), Ministry of Textiles	— Chairman
An Officer of the Ministry of Law and Justice (to be nominated by the Ministry)	— Member
Export Commissioner	— Member
Director/Deputy Secretary (Exports) Ministry of Textiles	— Member-Secretary

(vii) The Enforcement Appellate Committee may review and amend, modify or quash the orders of the Enforcement Committee on appeal from the exporter or by calling for the details from TEXPROCIL/SRTEPC, on its own.

17. Clearance by Customs

(i) **Products under restraint**

Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the TEXPROCIL or any other appropriate agency designated for this purpose.

(ii) **Handloom Products**

Insofar as export of all handloom fabric/made-up items corresponding to restrained items are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of 'Inspection endorsement' by the Textiles Committee in part-2 of the combination form.

(iii) **Made-up items falling under "India Item":**

In respect of "India Items" which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for export to the USA, the EU, Canada and Norway on the basis of appropriate certificates issued by the Officers of the Development Commissioner (Handicrafts).

18. Export Certificate, Certificate of Origin & Visa:

The following certification required under the relevant Administrative Arrangements (erstwhile Bilateral Textile Agreements) will be issued by TEXPROCIL or any other body duly authorised in this behalf:—

(i) **USA**

Visa for all mill-made/powerloom fabric and made-up consignments of commercial value and visa for handloom made-up items falling under categories 363 and 369.

(ii) **E.U.**

(a) Export Certificate and Certificate of Origin for all restrained items of powerloom/mill-made origin.

(b) Certificate of origin for non-restrained items of powerlooms/mill-made/knitted origin.

(iii) **CANADA**

Export Certificates for Fabric/Made-up items, mill-made/powerloom/knitted origin which are subject to restraint, except for consignments valued at less than Canadian dollars 500/-.

(iv) **NORWAY**

Export Certificate/Certificate of Origin in respect of bedlinen of powerloom and mill-made origin under category 7.

19. Handloom Exempt Certificate

In the case of export of all handloom fabric/made-up items corresponding to restrained items for Canada, all handloom fabrics and made-up items for the EU and the USA and handloom bedlinen for Norway, the Textiles Committee will issue the Certificate as prescribed in the respective Administrative Arrangements (erstwhile Bilateral Agreements) for such products.

20. Supervisory role of the Textile Commissioner

The Textile Commissioner shall exercise day to day supervision over matters relating to the allocation of export entitlements. A co-ordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and representatives of the Cotton Textiles Export Promotion Council, the Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council, the Wool and Woollens Export Promotion Council and the Handloom Export Promotion Council will review the operation of the policy periodically. On matters where there is a difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

21. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions in the public interest, without giving prior notice.

22. The address of the concerned Export Promotion Councils and of the Offices of the Textile Commissioner, Textiles Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :—

1. Office of the Textile Commissioner
   New C.G.O. Building, New Marine Lines
   Post Box No. 11500
   Mumbai-400 020.
2. The Cotton Textiles Export Promotion Council
   Engineering Centre, 5th Floor
   9, Mathew Road
   Mumbai-400 004

3. Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council
   Resham Bhavan
   78, Veer Nariman Road
   Mumbai-400 020
4. The Wool & Woollens Export Promotion Council
   612 Ashoka Estate
   24, Barakhamba Road
   New Delhi-110 001
5. The Handloom Export Promotion Council
   18, Cathedral Garden Road
   Post Bag No. 461, Nungambakkam
   Madras-600 034.
6. Development Commissioner (Handicrafts)
   West Block No. 7, R.K. Puram
   New Delhi-110 066
7. Textiles Committee
   "Crystal", 79, Dr. Annie Besant Road
   Worli, Mumbai-400 018.

N. RAMAKRISHNAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996